

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 1207 / 2014

संस्थित दि: 11 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

संजय उके पिता लालदास उके, उम्र 41 साल, जाति महार,
साकिन वार्ड नं. 13 गंगानगर चौकी उकवा थाना रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 13/02/2015 को उर्पार्षित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया गीता वैध ने दिनांक 03.10.2014 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि संजय उके ग्राम सेवक उकवा वर्ष 2007 से उसे शादी करने का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई लेकिन संजय उके ने उसे गोली खिलाकर पेट साफ करवा दिया। शादी की कहने पर शादी नहीं कर रहा है। थाने पर रिपोर्ट करने की कहने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/14 अन्तर्गत धारा 376(बी), 376(सी), 420, 313, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(ख)(ग), 313, 506 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
- (03) उर्पापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 376(ख)(ग), 313, 506 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0स0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(07) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने से उसे माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक 10.03.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति प्रार्थिया की वेंजेनाईल स्लाइड, अंडरवियर, प्यूबिक हेयर जो एफ.एस.एल. सागर से शीलबंद अर्टिकल ए, बी, सी के अनुसार नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति आगामी तिथि के पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट